झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक रिट याचिका संख्या 523 /2023

------

1. अजीत माहेश्वरी, आयु लगभग 36 वर्ष, पिता;- अनूप माहेश्वरी, निवासी 128/31, डी ब्लॉक, डाकघर और थाना किदवई नगर, जिला कानपुर, उ.प्र.,

2. अजय कुमार लड्ढा @ अजय लड्ढा, उम्र लगभग 58 वर्ष, पिता;- योगराज लड्ढा, निवासी 1/1 आशुतोष चौधरी एवेन्यू, डाकघर और थाना बालीगंज, जिला कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

3. अरुण कुमार लड्ढा, अरुण लड्ढा, उम्र लगभग 54 वर्ष, पिता;- योगराज लड्ढा, निवासी 1/1 आशुतोष चौधरी एवेन्यू, डाकघर और थाना बालीगंज, जिला कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

4. अशोक कुमार गुप्ता, आयु लगभग 54 वर्ष, पिता;- हरिराम गुप्ता, निवासी 8, दतिया हाउस, डाकघर और थाना खुर्शीद बाग, जिला लखनऊ (उ.प्र.)

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य।

2. कैलाश चंद्र हेमका, पिता;- मनोहरलाल अग्रवाल, निवासी प्रोपराइटर/पार्टनर मेसर्स महाबीर इंटरप्राइजेज, कार्यालय और निवास;- सदर बाजार, चास, डाकघर और थाना- चास, जिला- बोकारो।

.... उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री शैलेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री अशोक कूमार यादव, वरिष्ट ए.सी ।

उत्तरदाता संख्या 2 के लिए : श्री साहिल, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्‌वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका (आपराधिक) वाद पत्र सं. 905/2017 के साथ-साथ विद्‌वान जेएम-प्रथम श्रेणी, बोकारो द्‌वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2018 से उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्‌द करने के लिए एक उचित रिट/आदेश देने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जहां विद्‌वान जेएम -प्रथम श्रेणी के तहत, बोकारो ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 120 बी, 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए *प्रथम दृष्टया* मामला पाया है, जिन्हें मेसर्स वाईएमएस मोबिटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बताया गया है, जो कंपनी याचिका (आईबी) संख्या 127/इलाहाबाद/2017 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इलाहाबाद बेंच के आदेशों द्‌वारा स्थगन के आदेश के तहत है और उक्त मामला अब विद्‌वान सी.जे.एम., बोकारो की अदालत में लंबित है।

3. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप यह है कि मेसर्स वाईएमएस मोबिटेक प्राइवेट लिमिटेड गैजेट्स के पॉलिसी धारकों को बीमा दावा देने में केवल एक सुविधा प्रदाता था, जिसमें लाभार्थी यानी गैजेट का खरीदार उक्त गैजेट की खरीद के दस दिनों के भीतर बीमा पॉलिसी खरीदता था और उसके बाद दस दिनों के भीतर कंपनी

के साथ इसे सक्रिय करता था। दावे का मतलब था कि कंपनी ने गैजेट की मरम्मत के लिए भुगतान किया था जो उनके साथ बीमा किया गया था और कंपनी ने बदले में, विभिन्न अधिकृत सेवा केंद्रों को भुगतान किया जो मरम्मत कार्य करने के लिए उपयोग करते थे।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि शिकायतकर्ता को देय देय राशि एक वाणिज्यिक लेनदेन के तहत है और राशि का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाना है जो परिसमापन के अधीन है और आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया है। इसलिए, शिकायतकर्ता के लिए उपाय यह है कि वह अपना बकाया वापस पाने के लिए जुड़े मामले के संबंध में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इलाहाबाद बेंच से संपर्क करे, लेकिन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मेसर्स वाईएमएस मोबिटेक प्राइवेट लिमिटेड और शिकायतकर्ता के बीच लेनदेन की शुरुआत के बाद से शिकायतकर्ता को धोखा देने का कोई इरादा नहीं है और न ही कोई आरोप है। याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध न तो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत दंडनीय अपराध और न ही भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत दंडनीय अपराध बनता है। अपने प्रस्तुतीकरण को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील **मकसूद सैयद बनाम गुजरात राज्य और अन्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं, जो **(2008) 5 एससीसी 668 अनुच्छेद -13** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें से निम्नानुसार है: -

> *"13. जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) या धारा 200 के संदर्भ में दायर शिकायत याचिका पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है, मजिस्ट्रेट को अपना दिमाग लगाना आवश्यक है। दंड संहिता में प्रबंध निदेशक अथवा कंपनी के निदेशकों की ओर से प्रत्यावर्ती दायित्व संलग्न करने का कोई प्रावधान नहीं है जबकि अभियुक्त कंपनी है। विद्वान मजिस्ट्रेट खुद को सही सवाल उठाने में विफल रहे, जैसे कि क्या शिकायत याचिका, भले ही अंकित मूल्य दिया गया हो और इसकी संपूर्णता में सही माना गया हो, इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि यहां उत्तरदाता*

किसी भी अपराध के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी थे। बैंक एक निगमित निकाय है। प्रबंध निदेशक और निदेशक का प्रत्यावर्ती दायित्व उत्पन्न होगा बशर्ते कि संविधि में इस संबंध में कोई उपबंध विद्यमान हो। विधियों में निर्विवाद रूप से ऐसी प्रत्यावर्ती देनदारियों को तय करने का प्रावधान होना चाहिए। यहां तक कि उक्त उद्देश्य के लिए, शिकायतकर्ता की ओर से अपेक्षित आरोप लगाना अनिवार्य है जो कि विचित्र दायित्व का गठन करने वाले प्रावधानों को आकर्षित करेगा।''

और प्रस्तुत करता है कि भारतीय दंड संहिता में प्रबंध निदेशक या कंपनी के निदेशकों की ओर से प्रत्यावर्ती दायित्व संलग्न करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है जब अभियुक्त कंपनी है और इस संबंध में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील भी **एस.के अलघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2008) 5 एससीसी 662** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए *प्रथम दृष्टया* मामला ढूंढकर एक गंभीर त्रुटि की है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वाद पत्र सं. 905/2017 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विद्वान जेएम -प्रथम श्रेणी, बोकारो द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2018 जो अब विद्वान सीजेएम, बोकारो की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

5. राज्य की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ट एस सी। प्रस्तुत करते हैं कि राज्य को वाद पत्र सं. 905/2017 के साथ-साथ विद्वान जेएम -प्रथम श्रेणी, बोकारो द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2018 से उत्पन्न पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में कोई गंभीर आपत्ति नहीं है, जो अब विद्वान सीजेएम, बोकारो की अदालत में लंबित है।

6. उत्तरदाता सं.2 के विद्वान वकील वाद पत्र सं. 905/2017 के साथ-साथ विद्वान जेएम -प्रथम श्रेणी, बोकारो द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2018 से

उत्पन्न पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना का जोरदार विरोध करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि भले ही कंपनी अर्थात् मैसर्स वाईएमएस मोबिटेक प्राइवेट लिमिटेड परिसमापन के अधीन हो, यह याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत देयता से मुक्त नहीं होगा जो निर्विवाद रूप से उक्त कंपनी के निदेशक हैं। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह रिट याचिका, बिना किसी योग्यता के होने के कारण, खारिज कर दी जाए।

7. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि **उमा शंकर गोपालिका बनाम बिहार राज्य और अन्य** अनुच्छेद-6 में **(2005) 10 एससीसी 336** में रिपोर्ट किए गए मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया है: -

"6. अब हमारे द्वारा जांच की जाने वाली प्रश्न यह है कि क्या शिकायत की याचिका में खुलासा किए गए तथ्यों पर कोई भी आपराधिक अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 420/120-बी के तहत बहुत कम अपराध है। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत याचिका में एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया था कि जब उन्हें 4,20,000 रुपये का बीमा दावा प्राप्त होता है, तो वे उसमें से शिकायतकर्ता को 2,60,000 रुपये का भुगतान करेंगे, लेकिन भुगतान कभी नहीं किया गया है। इसके अलावा शिकायत की याचिका में कोई अन्य आरोप नहीं है। शिकायतकर्ता की ओर से यह बताया गया कि आरोपी ने धोखे से शिकायतकर्ता को सहमत होने के लिए राजी किया ताकि आरोपी व्यक्ति 4,20,000 रुपये के दावे के संबंध में उपभोक्ता फोरम में जाने के लिए कदम उठा सकें। <u>यह सुस्थापित है कि संविदा का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधडी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन्हीं मामलों में संविदा का उल्लंघन धोखाधडी माना जाएगा जहां प्रारंभ से ही कोई धोखा खेला गया हो। यदि धोखा देने का इरादा बाद में विकसित हुआ</u>

है, तो इसे धोखा नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान मामले में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि शुरुआत में ही आरोपी व्यक्तियों की ओर से धोखाधड़ी करने का कोई इरादा था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। (महत्त्व सन्निविष्ट)

अनुबंध का प्रत्येक उल्लंघन धोखाधड़ी के अपराध को जन्म नहीं देगा और केवल उन मामलों में अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर होगा जहां शुरुआत में कोई धोखा खेला गया था। यदि धोखा देने का इरादा बाद में विकसित हुआ है, तो इसे धोखा नहीं दिया जा सकता है।

8. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शुरुआत में ही शिकायतकर्ता पर कोई धोखा देने का कोई आरोप नहीं है, बल्कि यह शिकायतकर्ता का स्वीकृत मामला है कि पैसे का आंशिक भुगतान कंपनी द्वारा किया गया हैमैसर्स वाईएमएस मोबिटेक प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी परिसमापन में चली गई, इसलिए उसके बाद भुगतान नहीं किया गया है शिकायतकर्ता और वह, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, याचिकाकर्ताओं द्वारा धोखाधड़ी के अपराध को कमीशन नहीं करेगा। इसलिए, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि भले ही शिकायत में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप, गंभीर प्रतिज्ञान पर बयान और जांच के दौरान जांच किए गए गवाहों के बयान को पूरी तरह से सच माना जाए, फिर भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है।

9. जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि यदि अभियुक्त को सौंपी गई संपत्ति का उपयोग उसके द्वारा किया जाता है तो केवल उस संपत्ति को बनाए रखना उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग नहीं होगा जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सतीशचंद्र रतनलाल शाह बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2019) 9 SCC 148** अनुच्छेद-11 और 13 में रिपोर्ट किया गया, जिसे नीचे पढ़ा गया है:

11. यहां लागू पृष्ठभूमि सिद्धांतों का पालन करने के बाद, हमें अपीलकर्ता के खिलाफ व्यक्तिगत आरोपों पर विचार करने की आवश्यकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के साथ 406 की ओर मुड़ते हुए, हम देखते हैं कि विवाद पार्टियों के बीच ऋण लेनदेन से उत्पन्न होता है। यह रिकॉर्ड से गिरता है कि उत्तरदाता सं. 2 ऋण देने से पहले अपीलकर्ता और परिचारक परिस्थितियों को जानता था। इसके अलावा यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उपरोक्त राशि की वसूली के लिए, उत्तरदाता सं. 2 ने एक सारांश दीवानी वाद शुरू किया था जो अभी भी लंबित है। कानून स्पष्ट रूप से धन के सरल भुगतान/निवेश और धन या संपत्ति के हस्तांतरण के बीच अंतर को मान्यता देता है। केवल वादे, समझौते या अनुबंध का उल्लंघन, स्वतः ही, धारा 405 भारतीय दंड संहिता में निहित आपराधिक विश्वास भंग के अपराध का गठन नहीं करता है, बिना सौंपे जाने का स्पष्ट मामला नहीं है।

13. अब भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय धारा 415 के तहत आरोप पर आते हैं। संविदाओं के संदर्भ में, केवल संविदा भंग करने और धोखाधड़ी के बीच का अंतर कपटपूर्ण प्रलोभन और मासिक धर्म पर निर्भर करेगा। (देखें हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य, (2000) 4 एससीसी 168)। हमारे सामने मामले में, माना जाता है कि अपीलकर्ता आर्थिक संकट में फंस गया था और इसलिए, उसने संकट की स्थिति को सुधारने के लिए उत्तरदाता सं. 2 से संपर्क किया था। इसके अलावा, उपरोक्त राशि की वसूली के लिए, उत्तरदाता सं. 2 ने ऋण राशि की वसूली के लिए एक सारांश दीवानी वाद शुरू किया था जो अभी भी लंबित है। ऋण राशि वापस करने के लिए अपीलकर्ता की मात्र असमर्थता धोखाधड़ी के लिए एक आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकती है जब तक कि लेनदेन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमान इरादा नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि यह यह आपराधिक इरादे है जो अपराध की जड है। यहां तक कि अगर शिकायत और सामग्री के

सभी तथ्यों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाता है, तो भी ऐसा कोई बेईमान प्रतिनिधित्व या प्रलोभन नहीं पाया जा सकता है या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। (महत्त्व सन्निविष्ट)

10. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ताओं को कोई पैसा सौंपने का कोई आरोप नहीं है और यह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मकसूद सैयद बनाम गुजरात राज्य और अन्य (सुप्रा)** और **एस.के अलघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (सुप्रा)** के मामलों में माना गया है कि भारतीय दंड संहिता में कोई भी शामिल नहीं है प्रबंध निदेशक या कंपनी के निदेशकों की ओर से प्रत्यावर्ती दायित्व संलग्न करने के लिए प्रावधान जब आरोपी कंपनी है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं को कोई पैसा या संपत्ति सौंपने का कोई आरोप नहीं है।

11. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि भले ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से सही माना जाए, फिर भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

12. तदनुसार, वाद पत्र सं.905/2017 के साथ-साथ विद्वान एसीजेएम, बोकारो द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2018 से उत्पन्न पूरी आपराधिक कार्यवाही जो अब विद्वान जेएम-प्रथम श्रेणी, बोकारो की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

13. परिणाम में, इस रिट याचिका (आपराधिक) की अनुमति दी जाती है।

14. तत्काल रिट याचिका (आपराधिक) के निपटान के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं को दिनांक 10.08.2023 के आदेश के माध्यम से दी गई अंतरिम राहत को रद्द कर दिया गया है।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले को खारिज करने से उपयुक्त दीवानी मुकदमा शिकायतकर्ता के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
14 दिसम्बर, 2023 को दिनांकित किया
ए. एफ. आर./अनिमेष

<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया</u>।